UPSI180000722004

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh)**, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/159/2004

Shiv Pyari Vs. Mainawati

दि0 18.01.2024

पत्रावली पेश हुई। वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 107क नियत है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 107क–

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 107क अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि उक्त वाद में विवादित वसीयत दिनांक 29.09.1999 एवं विवादित विक्रय–पत्र दि0 11.05.2009 के सम्बन्ध में रेगुलर घोषणात्मक वाद संख्या 122, अर्न्तगत धारा 229बी उ0 प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम न्यायालय उपजिलाधिकारी, महमूदाबाद, सीतापुर से उभय–पक्षों के मध्य दिनांक 07.07.2014 को निर्णीत हुआ है जो प्रस्तुत वाद में पक्षों के मध्य प्रांगन्याय है एवं पक्षों के मध्य बाध्यकारी है जिसके सन्दर्भ में वाद–पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 109ग में यह कथन किया गया है कि संशोधन प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से साक्ष्य के समय दिया गया है, वादीगण द्वारा उल्लिखित आदेश दि0 07.07.2014 अंतिम आदेश नहीं है एवं उसके विरूद्ध आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ के समक्ष अपील सं0 201510000486/015 विचाराधीन है। जबकि उक्त आदेश शिवप्यारी व मैनावती के मध्य का है जिसमें संशोधन प्रा0 पत्र देने वाले व्यक्ति पक्षकार मुकदमा नहीं है, मुन्नी देवी आदि प्रस्तुत वाद में केवल मृतक शिवप्यारी के कायममुकामान हैं। मृतक शिवप्यारी के आज तक उक्त लोग वारिस घोषित नहीं किये गये हैं और न ही आज तक किसी भी न्यायालय के समक्ष उन्होने अपने को मृतक शिवप्यारी का वारिस घोषित कराने का प्रार्थना पत्र दिया है। इस कारण आदेश दि0 07.07.2014 के आधार पर प्रस्तुत वाद को प्रांग न्याय से बाधित कहने का अधिकार मुन्नी देवी आदि को नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थना–पत्र 107क मुन्नी देवी व राजेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से रेगुलर घोषणात्मक वाद संख्या 122, अर्न्तगत धारा 229बी उ0 प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम न्यायालय उपजिलाधिकारी, महमूदाबाद, सीतापुर से उभय–पक्षों के मध्य दिनांक 07.07.2014 को निर्णीत वाद की सूचना के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। मुन्नी देवी व राजेन्द्र प्रताप सिंह मूल वादिनी मृतक शिवप्यारी (रेगुलर घोषणात्मक वाद संख्या 122, अर्न्तगत धारा 229बी उ0 प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की पक्षकार) के स्थान पर इस वाद में प्रतिस्थापित हो चुके हैं और मृतक शिवप्यारी के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारीगण इस वाद में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जहॉ तक विलम्ब का सम्बन्ध है तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 107ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 107क अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर तीन दिवस हो। आपत्ति प्रतिवादीगण तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 05.02.2024 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code-UP3730

अजय/स्टेनो